न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 722 / 2021

1. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी धरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

..........प्रार्थी

बनाम

1. अनिल पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना।
2. सुनील पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना।
3. कृष्णा पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना।
4. रामप्यारी पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना।
5. बुगी पुत्री प्रहलादसिंह पत्नी जगमाल जाति जाट निवासी धरडानाखुर्द तहसील बुहाना।
6. औमप्रकाश पुत्र प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी धरडाना खुर्द तहसील बुहाना।
7. विमला पुत्री प्रहलादसिंह पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी मालसर तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. चिडिया पुत्री प्रहलादसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी पवेरा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
9. इस्मता पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी पवेरा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
10. विजेन्द्र पुत्र प्रहलाद जाति जाति जाट निवासी धरडाना खुर्द तहसील बुहाना।
11. रोहितास पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धरडाना खुर्द तहसील बुहाना।
12. जगदीश पुत्र बाई व बलदेवराराम जाति जाट निवासी हुक्मा की ढाणी तन स्वामी सेही तहसील सूरजगढ ।
13. जीवणी पुत्री नारायणी पत्नी प्रेमचंद जाति जाट निवासी बिगोदना तहसील सूरजगढ।
14. रूकमा पुत्री नारायणी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना।
15. उपपंजीयक सिंधाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
16. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना।

...............अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

अधिवक्ता उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री ... अधिवक्ता
2. अप्रार्थी सं0 की ओर से 3, 6, 13 – ... रोहित पोषवाल अधिवक्ता
3. अप्रार्थी सं0 10 की ओर से ... यादव अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक 07.03.2022

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

1. यह कि जमीन हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0.76 है. खसरा नम्बर 304 रकबा 0.07 है. खसरा नम्बर 528 रकबा 1.29 है. सरहद राजस्व ग्राम धरडाना खुर्द तहसील बुहाना में स्थित है।
2. यह कि जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र के वर्तमान में सहखातेदार प्रार्थी महेन्द्र सिंह का 5 / 56 हिस्सा, अनावेदकगण 1 से 4 प्रत्येक 1 / 128 हिस्सा, अनावेदक सं. 5 से 10 प्रत्येक का 5 / 56 का हिस्सा, अनावेदक सं. 11 का 1 / 8 हिस्सा, अनावेदक सं. 12, 13 प्रत्येक का 1 / 16 हिस्सा, अनावेदक सं. 14, 15 का प्रत्येक का 3 / 64 हिस्सा है। हिस्सा के मुताबिक पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। विवादित जमीन का अभी बाई मिट्स एवं बाउन्डस विधिवत विभाजन नही हुआं है।
3. यह कि आवेदक की बुआजी नारायणी, राका, बाई थी जिसका देहान्त हो चुका है। उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। आवेदक के पिता प्रहलादसिंह व चाचा भगवानाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी बहिने के भात छुछक की रस्में निभाई थी।
4. यह कि आवेदक व अनावेदक नम्बर 6 औमप्रकाश में आपस में मनमुटाव रहने लगा, इस कारण अनावेदक सं. 6 के पुत्र रोहितास ने पहले राका की पुत्री मेवा व सुनिल से उनके दर्ज हक हिस्से की रजिस्ट्री पहले अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा अब आगे अन्य बुआजी के वारिसान से हक हिस्से की जमीन का विक्रय पत्र अपने हक में करवाने पर आमादा है। जबकि सामाजिक रस्मों में आवेदक ने बहिस्सा बराबर भाग लिया है। उरोक्त प्रकार से बिना जमीन के विधिवत विभाजन के जमीन का ट्रासफर होना सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था के विपरित है। अनावेदक सं. 11 रोहितास ने अनावेदक संख्या 14, 15 से दिनांक 08.03.2021 को उनके हक हिस्सा भी जमीन का विक्रय पत्र अपने हक करवा लिया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क) कि जमीन हाल खसरा नम्बर 283, खसरा नम्बर 304, खसरा नम्बर 528 वाके ग्राम धरडाना खुर्द को तादौराने दावा विक्रय नही करे, रहन नही करे, निर्माण नही करे तथा आवेदक के कब्जा कास्त एवं उपयोग व उपभाग में बाधा कारित नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 3, 6, 13 की ओर से जबाब प्रार्थना पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 10 को [illegible] शेष अप्रार्थीगण की बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक [illegible] वाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 3, 6, 13 की ओर से ज[illegible] रहा कि – वाद वर्णित भूमि को पक्षकरान ने मौके पर बाहमी बंटवारा के [illegible] बटवारा कर अपने–अपने हिस्से की भूमि को अपनी सहुलियत के हिसाब से मौके पर कास्त आ रहे है। इसलिए

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थी का यह कहना कतई गलत है कि वादग्रस्त भूमि अभी भी सामलाती है। शेषाशः बनावटी एवं प्रार्थना पत्र फर्जी आधार पर तैयार किया गया है।जो अस्वीकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति में बेटियों का भी बेटों के समान ही हक व हिस्सा है इसलिए भात–छुछक किसने किया या नही यह सब विधि की नजर में कोई मायने नही रखता है। जबकि सच्चाई यह कि अनावेदक सं. 6 औमप्रकाश ही ज्येष्ठ पुत्र होने से सदैव अपनी बहिनों व बुआजीयों के भात–छुछक करता आ रहा है। आवेदक व अनावेदक सं. 10 ने कभी भी किसी बहन व बुआ के भात–छुछक में हिस्सा नही लिया है। वह कभी किसी बहिन व बुआ के शादी समारोह या भात–छुछक में भाग ही लेते है। आवेदक नक आवेदन पत्र के इस खण्ड में समस्त बनावटी तथ्य केवल मात्र आवेदन पत्र का फर्जी आधार पत्र तैयार किया गया है। जो अस्वीकार है। मगर फिर भी आवेदक को मजबुर साक्ष्य से साबित करना होगा। पक्षकारान आवेदक व अनावेदक सं. 6 में कोई मनमुटाव कभी भी नही रहा है। बल्कि आवेदक मनमुटाव अनावेदक संख्या 10 विजेन्द्र से सदैव रहा है। सिविल विवाद भी मध्य सिविल न्यायालय में लम्बित है। विधि के प्रावधानों के अनुसार राका देवी के वारिसान को अपने हिस्से की भूमि का किसी भी व्यक्ति के हक में बेचान करने के लिए अधिकृत थे, अन्य कोई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी खातेदार अपने हिस्से की भूमि को किसी भी खरीदार या अपने चहेते को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है उसे बेचान करने या फिर किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने से रोका नही जा सकता है। अनावेदक सं. 11 अनावेदक सं. 6 का पुत्र तथा आवेदक का सगा भतीजा है। इस प्रकार वह भी इसी परिवार का सदस्य होने से सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। वह भी इस परिवार का हिस्सा होने से इस वादग्रस्त भूमि से जन्म से ही जुडा हुआं है। इसलिए यदि किसी सह–खातेदार ने उसके अपने हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण कर दिया है या करने वाला है तो वह समाज व विधि के अनुकुल ही है। अनावेदक सं. 11 रोहितास राव भी इसी परिवार का सदस्य होने से अजनबी क्रेता नही है। आवेदक वर्तमान में मय परिवार राजसंमद रहता है तथा अनावेदक सं. 10 मय परिवार झुंझुनूं में रहता है अन्होने कभी भी वादगस्त भूमि के हिस्से को कभी भी काश्त नही किया है। इसलिए ऐसी अवस्था मे आवेदक के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अनावेदक ने कभी भी आवेदक को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अनावेदकगण ने कभी भी वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने सें इंकार नही किया है। आवेदक ने आवेदक के इस खण्ड के समस्त फर्जी तथ्य केवल मात्र आवेदक पत्र का फर्जी आधार करने की [illegible] दर्ज किये है जो स्वीकार नही है। अतः जबाव आवेदन पत्र मय शपथ [illegible] प्रस्तुत [illegible] विदन है कि आवेदन पत्र आवेदक भारी खर्चा ाहित [illegible] कर अस्वीकार [illegible] जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से जबाव मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि –

नारायणी, राका व बाई का देहान्त हो चुका है। जिनके वारीसान सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकि तीनों बुआजी की शादी कर दियाहै। वे अपने आल–बच्चों के साथ आनी ससुराल रही है। अनावेदक संख्या 10 का पिता प्रहलादसिंह व चाचा भगवानाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी बहनों का भात–छुछक की रस्में निभाई तथा अनावेदक के पिता व चाचा का देहान्त होने के बाद उपरोक्त रस्समें आवेदक अनावेदक संख्या 6 व 10 ने निभाई है जो स्वीकार है यह भी स्वीकार है कि आवेदक तथा अनावेदक संख्या 6 व 10 बराबर हिस्सा काश्त कर रहें है। अनावेदक संख्या 11 रोहितास ने पहले राका की पुत्री मेवा व पुत्र सुनिल का पुरा हिस्सा की रजिस्ट्री अपने अकेले के नाम करवा ली, अन्य बुआजी के वारिसान के हिस्सा हक की भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम तस्दीक करवाने का आमादा है। दिनांक 14.12.2021 को अनावेदक संख्या 11 ने अनावेदक संख्या 14, 15 का हिस्सा हक की भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया है जबकि भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 6, 10 का बराबर हिस्सा में काश्त करते आ रहे है। जिस पर लगातर कब्जे काश्त है। आवेदक ने अनावेदक से भी विधिवत् विभाजन के लिये कहा था अनावेदक संख्या 10 विधिवत् विभाजन के लिए तैयार है लेकिन अनावेदक संख्या 6 तथा अनावेदक 11 विभाजन करवाने में तैयार नही है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार है।

अनावेदक संख्या 10 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र के साथ काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। किन्तु अनावेदक संख्या 10 द्वारा मूल दावे कोई जबाव प्रस्तुत नही किया है ना ही प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। इस अनावेदक संख्या 10 का काउण्टर आवेदन पत्र बिना प्रतिदावे के स्वीकार योग्य नही है। अनावेदक संख्या 10 का काउण्टर आवेदन पत्र खारीज किया जा जाता है। उक्त केवल जबाव के रूप ही पढा जावेगा।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2075–78, विक्रय, पेश की।

प्रार्थी की ओर से आरबीजे (6) 1999, आरबीजे 27/2020 पेश किये गये।
बहस उभय पक्षकारान विस्तार से सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया।

(1) प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस रही कि– जमीन हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0.76 है. खसरा नम्बर 304 रकबा 0.07 है. खसरा नम्बर 528 रकबा 1.29 है. सरहद राजस्व ग्राम धरडाना खुर्द तहसील बुहाना में स्थित है। वर्तमान में सहखातेदार प्रार्थी महेन्द्र सिंह का 5/56 हिस्सा, अनावेदकगण 1 से 4 प्रत्येक 1/128 हिस्सा, अनावेदक सं. 5 से 10 प्रत्येक का 5/56 का हिस्सा, अनावेदक सं. 11 का 1/8 हिस्सा, अनावेदक सं. 12, 13 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा, अनावेदक सं. 14, 15 का प्रत्येक का 3/64 हिस्सा है। हिस्सा के मुताबिक ... की सहखातेदारी की भूमि है। विवादित जमीन का अभी बाई मिटस... बा... स विधिवत विभाजन नही हुआं है। आवेदक की बुआजी नारायणी, राका, बाई ... सका देहान्त हो चुका है। उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ... है। अनावेदक सं. 6 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पुत्र रोहितास ने पहले राका की पुत्री मेवा व सुनिल से उनके दर्ज हक हिस्से की रजिस्ट्री पहले अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा अब आगे अन्य बुआजी के वारिसान से हक हिस्से की जमीन का विक्रय पत्र अपने हक में करवाने पर आमादा है। जबकि सामाजिक रस्मों में आवेदक ने बहिस्सा बराबर भाग लिया है। उरोक्त प्रकार से बिना जमीन के विधिवत विभाजन के जमीन का ट्रासफर होना सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था के विपरित है। अनावेदक सं. 11 रोहितास ने अनावेदक संख्या 14, 15 से दिनांक 08.03.2021 को उनके हक हिस्सा भी जमीन का विक्रय पत्र अपने हक करवा लिया। वाद वर्णित भूमि में अनावेदकगण को तादौराने दावा विक्रय नही करे, रहन नही करे, निर्माण नही करे तथा आवेदक के कब्जा कास्त एवं उपयोग व उपभाग में बाधा कारित नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

<u>अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 6, 13 की ओर से बहस रही कि –</u> वाद वर्णित भूमि को पक्षकरान ने मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से की भूमि को अपनी सहुलियत के हिसाब से मौके पर कास्त आ रहे है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति में बेटियों का भी बेटों के समान ही हक व हिस्सा है इसलिए भात–छुछक किसने किया या नही यह सब विधि की नजर में कोई मायने नही रखता है। आवेदक को मजबुत साक्ष्य से साबित करना होगा। विधि के प्रावधानों के अनुसार राका देवी के वारिसान को अपने हिस्से की भूमि का किसी भी व्यक्ति के हक में बेचान करने के लिए अधिकृत थे, अन्य कोई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी खातेदार अपने हिस्से की भूमि को किसी भी खरीदार या अपने चहेते को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है उसे बेचान करने या फिर किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने से रोका नही जा सकता है। अनावेदक सं. 11 अनावेदक सं. 6 का पुत्र तथा आवेदक का सगा भतीजा है। इस प्रकार वह भी इसी परिवार का सदस्य होने से सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। वह भी इस परिवार का हिस्सा होने से इस वादग्रस्त भूमि से जन्म से ही जुडा हुआं है। इसलिए यदि किसी सह–खातेदार ने उसके अपने हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण कर दिया है या करने वाला है तो वह समाज व विधि के अनुकुल ही है। अनावेदक सं. 11 रोहितास राव भी इसी परिवार का सदस्य होने से अजनबी क्रेता नही है। आवेदक वर्तमान में मय परिवार राजसंमद रहता है तथा अनावेदक सं. 10 मय परिवार झुंझुनूं में रहता है उन्होने कभी भी वादगस्त भूमि के हिस्से को कभी भी काश्त नही किया है। इसलिए ऐसी अवस्था मे आवेदक के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अनावेदक ने कभी भी आवेदक को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अनावेदकगण ने कभी भी वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने सें इंकार नही किया है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विदन है कि आवेदन पत्र आवेदक भारी खर्चा सहित खारीज कर अस्वीकार किये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 की बहस रही कि –

नारायणी, राका व बाई का देहान्त हो चुका है। जिनके वारीसान सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है । अनावेदक संख्या 10 का पिता प्रहलादसिंह व चाचा भगवानाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी बहनों का भात–छुछक की रस्में निभाई तथा अनावेदक के पिता व चाचा का देहान्त होने के बाद उपरोक्त रस्समें आवेदक अनावेदक संख्या 6 व 10 ने निभाई है जो स्वीकार है यह भी स्वीकार है कि आवेदक तथा अनावेदक संख्या 6 व 10 बराबर हिस्सा काश्त कर रहें है। अनावेदक संख्या 11 रोहितास ने पहले राका की पुत्री मेवा व पुत्र सुनिल का पुरा हिस्सा की रजिस्ट्री अपने अकेले के नाम करवा ली, अन्य बुआजी के वारिसान के हिस्सा हक की भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम तस्दीक करवाने का आमादा है। दिनांक 14.12.2021 को अनावेदक संख्या 11 ने अनावेदक संख्या 14, 15 का हिस्सा हक की भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया है जबकि भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 6, 10 का बराबर हिस्सा में काश्त करते आ रहे है। जिस पर लगातर कब्जे काश्त है। आवेदक ने अनावेदक से भी विधिवत् विभाजन के लिये कहा था अनावेदक संख्या 10 विधिवत् विभाजन के लिए तैयार है लेकिन अनावेदक संख्या 6 तथा अनावेदक 11 विभाजन करवाने में तैयार नही है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया गया है।

1.प्रथम दृष्टया प्रकरण (Prima facie Case):–

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उद्धृत करते हुए निवेदन किया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0.76 है. खसरा नम्बर 304 रकबा 0.07 है. खसरा नम्बर 528 रकबा 1.29 है. सरहद राजस्व ग्राम धरडाना खुर्द तहसील बुहाना में स्थित है। वर्तमान में सहखातेदार प्रार्थी महेन्द्र सिंह का 5/56 हिस्सा, अनावेदकगण 1 से 4 प्रत्येक 1/128 हिस्सा, अनावेदक सं. 5 से 10 प्रत्येक का 5/56 का हिस्सा, अनावेदक सं. 11 का 1/8 हिस्सा, अनावेदक सं. 12, 13 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा, अनावेदक सं. 14, 15 का प्रत्येक का 3/64 हिस्सा है। हिस्सा के मुताबिक पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। विवादित जमीन का अभी बाई मिट्स एवं बाउन्डस विधिवत विभाजन नही हुआं है। बिना विभाजन भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा होता है। जिसको बिना विभाजन के बेचान नही कर रकता है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को उद्धृत करते हुए तर्क किया कि वादगस्त भूमि में आवेदक व अनावेदगण संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड [illegible] अनुसार राका देवी के वारिसान को अपने हिस्से की भूमि का किसी [illegible] के हक में बेचान करने के लिए अधिकृत थे, अन्य [illegible] भूमि को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। राजस्थान [illegible] व राजस्थान पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार [illegible] अपने हिस्से की भूमि को किसी भी खरीदार या अपने चहेते को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है उसे बेचान करने या फिर किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने से रोका नही जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वाद वर्णित भूमि में आवेदक व अनावेदकगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिसका वर्तमान में विधिवत विभाजन नही हुआं है। किन्तु सहखातेदारों को अपने हक हिस्से का बेचान करना का काश्तकारी अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम में पूरा हक अधिकार है। शामलाती संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का एक –एक इंच पर खातेदार का अधिकार है। अनावेदक द्वारा संयुक्त खातेदारों द्वारा विधिवत पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र करवाया है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का यह प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आधारहीन होने के कारण चलने योग्य नहीं है। इसलिए यह बिन्दु अनावेदकगण के पक्ष में व आवेदक के विपरीत तय किया जाता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन**– इस बिन्दु के संबंध में यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि भूमि की वर्तमान संयुक्त खातेदारी भूमि है। आवेदक व अनावेदकगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि का बेचान करने को उसे पुरा अधिकार है। अप्रार्थी ने नियमानुसार राशि अदा कर पंजीकृत विक्रेय पत्र से खरीदा है। इसलिए यह बिन्दु भी आवेदक के पक्ष में नही पाया जाता है। तथा अनावेदकगण के पक्ष में पाया जाता है।

3. **अपूर्तनीय क्षति**– इस बिन्दु के संबंध में यह प्रथम दृष्टया ही साबित है कि कोई भी व्यक्ति किसी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नही कर सकता। क्योकि संयुक्त खातेदार है अनावेदक जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान किया है। इसलिए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही पाया जाता है ।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है ऐसी स्थिति में यह आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरूद्व स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणनीय नही से खारीज किया जाता **है।**

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

निर्णय आज दिनांक 07-03-2022 को मेरे द्वारा लिखाये जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested